MVS/LIS/11 15-11-21

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

9 फरवरी, 1999

खण्ड-1 अंक-9

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 9 फरवरी, 1999

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9)1
समितियों की रिपोर्ट्स पेश करना—	(9)15
(i) पब्लिक अकाऊंट्स कमेटी की 47वीं रिपोर्ट	(9)15
(ii) ऐस्टीमेट्स कमेटी की 31वीं रिपोर्ट	(9)15
(iii) पब्लिक अंडरटेकिंगज कमेटी की 44वीं रिपोर्ट	(9)15
वर्ष 1998-99 के अनुपूरक अनुमानों पर चर्चा तथा मतदान	(9)16
वर्ष 1999-2000 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(9)19
बिल्ज—	
(i) दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैन्ट) बिल, 1999	(9)24
(ii) दि पंजाब शिड्यूल रोड्ज एंड कंट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रक्शन आफ अनरैगुलेटिड डिवैल्पमैन्ट (हरियाणा अमैंडमैन्ट) बिल, 1999	(9)28

मूल्य :

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 9 फरवरी, 1999

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में अपराह्न 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छत्तर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज अब प्रश्न काल होगा।

तारांकित प्रश्न संख्या : 811

(इस समय माननीय सदस्य श्री देव राज दीवान सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

Sewerage Treatment Plant

***874. Shri Anil Vij :** Will the Minister for Public Health be pleased to state—

(a) the number of sewerage systems in the State in which sewerage treatment plants have been provided; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Gorvernment to provide sewerage treatment plants at the remaining sewerage system in the State particularly in Ambala Cantt. ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन्नाथ) :

(क) राज्य के 13 शहरों में मल शोधन संयंत्र निर्माणाधीन है।

(ख) दूसरे शहरों में भी मल शोधन संयंत्र निर्माण करने का प्रस्ताव सरकार के पास सक्रिय तौर पर विचाराधीन है। मल शोधन संयंत्र बहुत मंहगा होने पर भी पर्याप्त धन राशि का प्रबन्ध करने हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हरियाणा के कितने शहरों में इस वक्त सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम वर्किंग कंडिशन में है। उनके अलावा क्या सरकार बाकी शहरों में भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के बारे में विचार करेगी। अगर विचार कर लिया है तो वह किस हद तक विचार किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, आज समय समय पर एन्वायरमैंट के बारे में विचार किया जा रहा है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि बाकी जगहों पर कब तक ट्रीटमैंट प्लांट लगा लिए जाएंगे।

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर, जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद सात बड़े शहरों में यह योजना चल रही है और छः छोटे शहरों में जिनमें छछरौली, रादौर, इन्द्री, घरौंडा, गोहाना और पलवल आते हैं में भी यह योजना चल रही है। फरीदाबाद में 3 ट्रीटमैंट प्लांट्स हैं। गुड़गांव में काम पूरा हो गया है और बाकी जगहों पर जून-जुलाई में काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो बाकी शहर हैं उनमें काम सन् 2000 तक पूरा हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये ट्रीटमैंट प्लांट्स 40 करोड़ के लगेंगे लेकिन अभी हमें पैसा नहीं मिला है। जब हमें पैसा मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। जीन्द और रोहतक में ट्रीटमैंट प्लांट की जरूरत है इसलिए इसको हम पहले पूरा करेंगे और अम्बाला के बारे में भी सोच सकते हैं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह बताएं कि प्लांट लगाने के लिए क्या केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। अगर दी जा रही है तो वह किस आधार पर और किस रेशो पर दी जा रही है?

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, ये जो 13 नाम मैंने लिए हैं इसमें पहले 50 प्रतिशत स्टेट गवर्नमैंट और 50 प्रतिशत सैन्टरल गवर्नमैंट खर्च करती थी लेकिन 1-4-97 को जो मीटिंग हुई थी उसमें सी०एम० साहब भी थे और उसमें यह फैसला लिया गया कि 1-4-97 से उन पर 100 प्रतिशत खर्च सैन्टरल गवर्नमैंट करेगी। यमुना ऐक्शन प्लान के तहत उन शहरों के अलावा बाकी शहरों में जो खर्चा होगा वह स्टेट गवर्नमैंट करेगी।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी आपने कहा है कि अम्बाला में इस बारे में सोचा जा सकता है।

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास पैसा नहीं है अगर पैसा होता तो हम सारा काम आज ही करवा देते।

तारांकित प्रश्न सं० 921

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री नफे सिंह राठी सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न सं० 923

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Vacant Posts of Doctors

***966. Shri Satpal Sangwan :** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether any post of Dental Surgeons, S.M.Os. and M.Os. are lying vacant in the hospitals of district Bhiwani at present; and

(b) if so, the time by which the aforesaid posts are likely to be filled up ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) :

(क) भिवानी जिला में दन्तक सर्जनों के 8 पद, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के 2 पद तथा चिकित्सा अधिकारियों के 42 पद रिक्त हैं।

(क) इन रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए पग उठाए जा रहे हैं।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, दादरी में डेंटल सर्जन लगाने के बारे में मैंने पिछले सैशन में भी कहा था और इसी तरह से मेरे हल्के के छपार गांव में मेडीकल ओफिसर लगाने के बारे में भी मैंने यहां पर पहले कहा था। लेकिन अभी तक भी दादरी में कोई डैंटल सर्जन नहीं लगाया गया। पहले वहां पर वह केवल 14 दिन के लिए ही लगाया गया था लेकिन बाद में उसको वापस बुला लिया गया था। क्या मंत्री जी इन दोनों जगहों पर डैंटल सर्जन एवं मेडीकल ओफिसर लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, सांगवान साहब ने ठीक ही कहा कि अभी तक इनके दादरी में डैंटल सर्जन की पोस्ट वेकेन्ट है लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि मानहेरू के स्वास्थ्य केन्द्र से वहां का एक डाक्टर दो दिन के लिए दादरी में जाता है। हमने एच०पी०एस०सी० में 19 डाक्टर्ज को लगाने के लिए रिक्वीजिशन भेजी हुई है अब वे इनका इन्टरव्यू ले रहे हैं जैसे ही इनकी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी उसके बाद फौरन इन पदों को भर दिया जाएगा।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, जहां तक डैंटल सर्जन को लगाने का सवाल है अभी कुछ दिनों पहले इनकी काफी संख्या में पोस्टिंग हुई है लेकिन पता नहीं मंत्री जी ने हमारे दादरी में क्यों नहीं कोई डैंटल सर्जन लगाया है।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ठीक कहा कि अभी 93 डैंटल सर्जनों की नियुक्ति हुई है लेकिन दादरी में कोई डैंटल सर्जन नहीं लगाया गया है लेकिन इस बारे में जैसा कि मैंने अर्ज किया है इनके दादरी में दो दिन के लिए मानहेरू स्वास्थ्य केन्द्र से एक डाक्टर जाता है लेकिन जल्दी ही थोड़े दिनों के बाद हम दादरी में डैंटल सर्जन लगा देंगे। जहां तक छपार गांव में मेडीकल ओफिसर लगाने की बात है, हमने अपने तौर पर 330 डाक्टर्ज की नियुक्ति के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वीजिशन भेजी हुई है और यह रिक्वीजिशन हमने 1998 में भेजी थी। अब इनके इंटरव्यूज़ लगभग खत्म हो चुके हैं और 5-10 दिन के अंदर इनका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने के बाद हम डाक्टर्ज के सारे के सारे रिक्त स्थान भर देंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारा सिस्टम ऐसा हो गया है कि जब कोई डाक्टर अपनी तालीम लेता है तो उसे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है और जब वह अपनी यह तालीम पूरी करता है तो उसके बाद उसकी यह कोशिश होती है कि जो पैसा उसने अपनी तालीम लेते समय खर्च किया पहले वह जल्दी से जल्दी कमाया जाए। इसी कारण से ये डाक्टर्ज शहरों में पोस्टिंग करवाना चाहते हैं क्योंकि ये शहरों में अपनी अलग से क्लीनिक भी खोल लेते हैं और इसी वजह से ये गांवों में जाना नहीं चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले दो तीन सालों से हमारा यह प्रयास रहा है कि ज्यादा से ज्यादा डाक्टर्ज को गांवों में भेजा जाए। पहले हमने 205 डाक्टर्ज की नियुक्ति की थी लेकिन ज्वाइन केवल 100 ने ही किया और 100 में से भी बाद में 30 डाक्टर्ज छोड़कर चले गए। कोई भी डाक्टर गांव में पोस्टिंग करवाने के लिए तैयार ही नहीं है परन्तु हमारा यह प्रयास है कि आने वाले 330 डाक्टर्ज की नियुक्ति बिल्कुल ठीक तरह से करें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, क्या आप बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट भिवानी में एस०एम०ओज० की पोस्ट कहां कहां पर खाली है ? जितने भी भिवानी जिले में सी०एच०सीज० हैं वहां पर कोई एस०एम०ओ०

[श्री अध्यक्ष]

नहीं है। पहले जब एस०एम०ओस० की पोस्टिंगज़ हुई थी तो उस समय मैंने आपसे धनाना और बौंदकला के बारे में कहा भी था लेकिन यहां पर या अन्य सी०एच०सीज० में एस०एम०ओज० की भर्ती नहीं की गयी। वैसे तो यह पोस्टिंग का मामला है लेकिन आप बताएं कि जिन लोगों की पोस्टिंग हुई थी उन्होंने ज्वाइन क्यों नहीं किया ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, जिला भिवानी में केवल दो स्थानों में एस०एम०ओ० नहीं है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन धनाना झोझूकलां, गोपी और बौंदकला में भी एस०एम०ओ० नहीं है।

श्री ओम प्रकाश महाजन : बौंदकला में तो है यह अलग बात है कि वह वहां जा न रहा हो और गैर हाजिर हो। आप इसको फिर देख लें या मैं रिकार्ड देख लूंगा।

श्री अध्यक्ष : मेरा तो गांव ही बौंदकला है इसलिए यही सबसे बड़ा रिकार्ड है।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, मेरे हिसाब से तो बौंदकला में एस०एम०ओ० लगा हुआ है और झोझूकलां और गोपी गावों में नहीं है। इनकी 15 परसैंट नियुक्तियां प्रमोशनल बेसिज पर हुई हैं। ये फिगर्ज डी०सी० की तरफ से हमारे पास आ रही हैं।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, सतपाल सांगवान जी कितने सौभाग्यशाली हैं कि उनके हर सवाल के साथ महामहिम अध्यक्ष महोदय खुद सप्लीमैंट्री पूछते हैं और आदेश देते हैं।

श्री अध्यक्ष : राम विलास जी, मेरा और इनका एक ही शहर है दादरी और भिवानी। महाजन साहब, भिवानी में जो जनरल हास्पीटल है वह हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा हॉस्पीटल है लेकिन उसमें भी डॉक्टरों की नितान्त आवश्यकता है तो क्या आप वहां डॉक्टर जल्दी भेजने का प्रावधान करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया कि यह जो 330 डॉक्टरों की नियुक्ति कर रहे हैं यह एंड ऑफ दि फरवरी या फर्स्ट वीक ऑफ दि मार्च में होगी। इसके बाद निश्चित रूप से एक भी पी०एच०सी० या सी०एच०सी० ऐसी नहीं रहेगी जहां डॉक्टर न हों।

श्री सोमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि सतनाली के अंदर जो पी०एच०सी० है वह भिवानी लोकसभा क्षेत्र व मेरे हल्के में आती है वहां पर काफी समय से डॉक्टर नहीं है और बाकी स्टाफ भी नहीं है मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यह स्टाफ कब तक नियुक्त कर देंगे ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना कि पैरा मैडीकल स्टाफ नहीं है तो इस बारे में मैं पता कर लेता हूं वैसे मेरे ख्याल से वहां पैरा मैडीकल स्टाफ जरूर होगा इसके अलावा मेरे रिकार्ड के मुताबिक भी वहां डॉक्टर भी है।

श्री सोमवीर सिंह : मंत्री जी, आप इस बारे में पता कर लें।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में कुल मिलाकर चार जगह एक-एक डॉक्टर की कमी है एक तो खड़ौदी में, एक कादमा में, एक लिलस में और एक सण्डवा में।

श्री सोमवीर सिंह : कांस्टीच्यूएंसी हमारी है लेकिन वैसे सतनाली महेन्द्रगढ़ में पड़ता है।

श्री ओम प्रकाश महाजन : महेन्द्रगढ़ के बारे में आप अलग से क्वैशचन पूछ लें।

श्री नृपेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने स्वीकार किया कि झोझूकलां और गोपी में एस०एम०ओज० की वैकेन्सीज़ खाली पड़ी हैं और इसके साथ ही खड़ौदी और कादमां में भी डॉक्टर की जगह खाली है क्या मंत्री जी कोई समयबद्ध आश्वासन देंगे कि कितने समय में ये वैकेन्सीज़ भर देंगे ? इसके अलावा झोझूकलां और गोपी के पी०एच०सीज़० में एस०एम०ओज० के अलावा कितने डॉक्टरों की वैकेन्सीज़ खाली हैं ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि गोपी और झोझूकलां में प्रमोशन के आधार पर पद स्वीकृत होने हैं और जो नये वर्ष की ए०सी०आर०' भरी जानी हैं उसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद इस पर कार्यवाही होगी। जहां तक खड़ौदी और कादमा में डाक्टरों की नियुक्ति का सवाल है तो जब 330 नये डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी तो कोई भी पी०एच०सी०, सी०एच०सी० में डाक्टर की पोस्ट खाली नहीं रहेगी।

श्री नृपेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि झोझू कलां और गोपी पी०एच०सीज़० में एस०एम०ओ० के अलावा कितने डाक्टरों की पोस्टें खाली हैं ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, इन दोनों जगह पर एक-एक डाक्टर की पोस्ट खाली है।

श्री जगदीश नैयर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे हल्के हसनपुर में जो हॉस्पीटल है वहां पर चार डाक्टरों के पद हैं लेकिन वहां पर एक ही डाक्टर है बाकी पद खाली हैं । पिछली कांग्रेस सरकार के समय में तो सारी मशीनरी और एक्स-रे का सामान वहां से उठा लिया था। यह बात मैंने पिछले सैशन के दौरान भी कही थी। मंत्री जी कह रहे हैं कि 300 डाक्टरों के पद सरकार ने भरने हैं इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे हल्के के हसनपुर अस्पताल में जो डाक्टरों के पद रिक्त हैं उन्हें शीघ्र भरने की कृपा करें। दूसरी बात मैं लाठर साहब के हल्के जुलाना के बारे में पूछना चाहूंगा कि जुलाना में एस०एम०ओ० का पद कब तक भर जायेगा।

श्री ओम प्रकाश महाजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, हैल्थ विभाग के बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खासतौर पर आदेश दे रखे हैं कि अगर डाक्टरों की ज्यादा कमी है तो एडहोक पर डाक्टर लगा दिये जायें। यह बात उन्होंने पीछे एक कैबिनेट की मीटिंग में कही थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डाक्टरों को सिलैक्ट कर दिया जाता है लेकिन देहात में वे जाना पसन्द नहीं करते। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इन पदों को भरा जाये। वैसे मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे अगर किसी कप्पल केस के बारे में हमें लिखकर दे दें जो वहां जाने के इच्छुक हैं तो हम मुख्य मंत्री जी से आदेश लेकर उनकी वहां पर नियुक्ति कर देंगे।

श्री चन्द्र भाटिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि फरीदाबाद में जो बी०के० हॉस्पिटल बन कर तैयार हो गया है उसको कब तक चालू करने जा रहे हैं। यह बात मैंने पिछले सैशन में भी रखी थी।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि बी०के० होस्पिटल का भवन बन कर तैयार हो गया है। पहले उसकी लिफ्ट लगाने में कुछ कमी थी लेकिन अब वह काम भी पूरा हो गया है। उस भवन का उदघाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने करना है। इस सैशन के बाद उनसे कोई डेट लेकर फरवरी के अन्त तक उसका उद्घाटन करवा देंगे।

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर सर, हमें तो गलतफहमी है कि हमारी पी०एच०सी० में डाक्टर नहीं है। शायद ऐसा होगा कि सरकारी रिकार्ड में तो डाक्टर पोस्टिड होंगे लेकिन वे डाक्टर छः-छः महीने तक पी०एच०सी० में या सी०एच०सी० में नहीं जाते होंगे। मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि छप्पार में छः महीने से डाक्टर ने जाकर के नहीं देखा है। अब ये मंत्री जी को पता होगा कि वह डाक्टर छुट्टी पर है या फर्लो पर है।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, इस डाक्टर के बारे में हम पता करवा लेते हैं कि वह डाक्टर वाकई ही वहां आता है या नहीं। अगर फर्लो पर होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी कोशिश तो पूरी होती है कि डाक्टरों को हर पी०एच०सी० में भेजा जाये परन्तु पिछले 15-20 सालों से डाक्टरों में जबरदस्त लापरवाही आ रही है लेकिन वर्तमान सरकार आने के बाद उनकी लापरवाही पर कुछ अंकुश लगा है। इस लापरवाही के कारण ही मेवात जैसे एरिया में डेंगू फैला और एक लाख से ऊपर इसके केसिज़ हो गए थे लेकिन इस समय सिर्फ 2 या 3 प्रतिशत केसिज़ ही रह गए हैं। इस प्रकार से सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि डाक्टर्ज अपनी डियूटी ठीक से निभाएं फिर भी यदि डाक्टर्ज द्वारा लापरवाही बरतने के संबंध में कोई शिकायत आएगी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि मेरे हल्के के गांव अहर में पी०एच०सी० को अपग्रेड करके सी०एच०सी० बनाने का मामला सरकार के विचाराधीन है, यह कब तक स्वीकृत हो जाएगा ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से वहां पर सी०एच०सी० पहले ही बनी हुई है लेकिन फिर भी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव यदि आया हुआ है तो उस पर विचार कर लिया जाएगा। वैसे यह इनकी सप्लीमैंटरी इस सवाल से मिलती नहीं है।

तारांकित प्रश्न संख्या 952

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या 941

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री राम फल कुण्डु सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Extension of the Limits of Municipal Committee, Panipat

***973. Shri Om Parkash Jain :** Will the Minister for Local Government be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to extend the limit of Municipal Committe, Panipat ?

स्थानीय शासन मंत्री (डा० कमला वर्मा) : नहीं, श्रीमान्।

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया को बताना चाहूंगा कि इन्होंने 3 दिन पहले ही सदन में कहा था कि यदि किसी कमेटी की सीमा बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव

हों, उस पर उपायुक्त की सिफारिश हो तथा वहां का विधायक भी चाहता हो तो उस कमेटी की सीमा हम बढ़ा देंगे। दूसरी बात यह है कि पानीपत बहुत बड़ा शहर है, वहां की आधी आबादी कमेटी से बाहर रहती है और आधी कमेटी के अंदर रहती है। पानीपत का कम से कम 70 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र नगरपालिका की सीमा से बाहर है जिसकी वजह से कमेटी की जो आमदन होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग "राहदारी" बनाकर काम चलाते हैं। इस प्रकार से कमेटी की भी वहां पर आमदन की दिक्कत है, दूसरी बात यह है कि 3-4 दिन पहले मंत्री महोदया ने सदन में आश्वासन दिया था कि ऐसे केसिज़ में वे सीमा को बढ़ा देंगी। पानीपत की कमेटी ने इस बारे में प्रस्ताव पास करके भेज रखा है जो कि उपायुक्त के माध्यम से आया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि वे पानीपत नगरपालिका की सीमा बढ़ाने हेतु अपनी हां कर दें, इससे वहां की जनता को लाभ होगा तथा सरकार को भी लाभ होगा।

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि इन्होंने 45 कॉलोनियों के बारे में लिखा था जिन में से 10 कॉलोनियों को तो 29-11-96 को नगरपालिका की सीमा के अंदर लिया जा चुका है बाकि 35 कॉलोनियों के बारे में मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया था। हां, मैंने इन के लिए नियम बताए थे कि किस प्रकार से हम उनको भी नगरपालिका की सीमा के अंदर ले सकते हैं, जैसे कि अगर वे डिवैल्पमैंटल चार्जिज़ दें, नक्शा पास करवाएं, उपायुक्त व पार्षद की सिफारिश हो, तो इस प्रकार के केसिज़ पर विचार किया जा सकता है। अब यह कहना कि मैंने 3 दिन पहले आश्वासन दिया था, ठीक नहीं है। मैं बताना चाहूंगी कि मैंने कोई आश्वासन न तो दिया है और न ही मैं आश्वासन दे सकती हूं क्योंकि यहां सिर्फ 35 कॉलोनियों की ही बात नहीं है, पूरे प्रांत की बात है, दिनों-दिन नगरपालिकाओं की सीमाएं बढ़ती जा रही हैं। जहां तक इनकी 35 कॉलोनियों की बात है, इनको नगरपालिका के अंदर लाने का अभी कोई विचार नहीं है।

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने 35 कॉलोनियों को रैगुलराईज़ करने की बात कही है। इन कॉलोनियों को नगरपालिका की सीमा में लेने से कमेटी की आमदन भी बढ़ जाएगी। वैसे मुझे उम्मीद थी कि मंत्री महोदया हां नहीं करेंगी। अध्यक्ष महोदय, जब से मैं विधायक बना हूं तब से ही मैं हर सत्र में इस बारे में प्रार्थना कर रहा हूं। पानीपत में जब मुख्य मंत्री महोदय गए थे तो मैंने उनसे भी इस बारे में प्रार्थना की थी कि इन कॉलोनियों को रैगुलराईज कर दें। जहां तक डिवैल्पमैंट चार्जिज़ देने की बात है तो मैं कहना चाहूंगा कि डिवैल्पमैंटल चार्जिज़ तो वे देने के लिए तैयार हैं। पहले उन कॉलोनियों को रैगुलराईज़ करके आप कमेटी के अंदर ले आईए, उसके बाद आप डिवैल्पमैंटल चार्जिज़ उनसे जबरदस्ती भी ले सकते हैं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है।

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहती हूं कि ये कौन सी कालोनियों को रैगुलराईज करने की बात कर रहे हैं। रमेश नगर, गीता कालोनी, न्यू माडल टाऊन, राम नगर, राजीव कालोनी, बतरा कालोनी, मुखीजा कालोनी, राजपूत कालोनी, आर्य नगर आदि कालोनियों को तो हम पहले ही रैगुलराईज कर चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, जो भी नई कालोनी के लोग नक्शा पास करवाने के लिए पैसा जमा करवायेंगे उसके बारे में अब यह निर्णय लिया गया है कि वह पैसा उसी कालोनी के खाते में अलग से जमा करवाया जायेगा और उस कालोनी की डिवैल्पमैंट करने में ही खर्च होगा। माननीय साथी, जिन कालोनियों की बात कर रहे हैं उस बारे में कोई भी प्रस्ताव अभी सरकार के पास नहीं आया है। सिर्फ 10 कालोनियों का आया था जो हमने 1996 में रैगुलराईज कर दी।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदया, माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि आप उन कालोनियों से पैसा उनकी सीमा बढ़ाने से पहले लेंगे या सीमा बढ़ाने के बाद।

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में एक लम्बा प्रोसीजर है। डिवैल्पमैंटल चार्जिज तो कमेटी ने लेने हैं और नक्शा भी कमेटी ने पास करना है। इसका तरीका यह है कि पहले नगरपालिका से प्रस्ताव आता है और फिर वह प्रस्ताव डी०सी० के पास जाता है। डी०सी० उस प्रस्ताव को निदेशालय के माध्यम से सरकार के पास भेजता है। इसके बाद उस प्रस्ताव पर प्रिलिमिनरी नोटीफिकेशन 6 हफ्ते के लिए करते हैं। छः हफ्ते के अन्दर उन कालोनियों में रहने वाले लोग जो भी सुझाव या आपत्ति हो वह बता सकते हैं। अध्यक्ष महोदय,इस सारे प्रोसैस में 7-8 महीने का समय लग जाता है। एक-एक व्यक्ति की आपत्ति और सुझाव लेने के लिए हम जिला स्तर के किसी जिम्मेवार आफिसर की नियुक्ति करते हैं। वह अधिकारी कालोनी वालों के सुझाव और आपत्तियां नोट करता है। उसके बाद ही निर्णय लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, अब चुनाव सिर पर हैं एक साल से भी कम समय रह गया है इसलिए हम 7-8 महीने का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि सारे प्रोसैस में देरी लगती है चुनाव होने के बाद हम विचार कर लेंगे। जहां तक पैसे पहले या बाद में लेने की बात थी तो उस बारे में नीति निर्धारित होने पर ही पैसा लिया जाता है।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि हमारे शहर पानीपत में सैक्टर-29 है, यह हुड्डा का सैक्टर है। यह सैक्टर-29 म्यूनिसीपल कमेटी की चुंगी से बाहर है, वहां के लोगों ने सभी डिवैल्पमैंटल चार्जिज भरे हुए हैं तो क्या सरकार का उस सैक्टर के बाहरी किनारे तक चुंगी घर पहुंचाने का कोई विचार है ?

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हुड्डा का अपना एक सिस्टम है। जब हम किसी कालोनी को हुड्डा से टेक ओवर करते हैं तभी हम उस पर कार्यवाही कर सकते हैं। मैं दोनों माननीय सदस्यों को यह बताना चाहती हूं कि पानीपत में इस वक्त चुंगी की बढ़ोतरी हुई है और लगभग एक लाख रुपये रोज आती है। तो मुझे पानीपत के बारे में कोई तकलीफ नहीं हो रही है कि चुंगी नहीं आ रही है, या कोई सैक्टर चुंगी की सीमा से बाहर है या अंदर है। हमने नगरपालिका की सीमा वृद्धि का नोटिफिकेशन 29-11-1996 को जारी किया था। उस नोटिफिकेशन के तहत हमने पानीपत में 10 कालोनियों को रैगुलराईज किया था। हुड्डा के किसी सैक्टर में नगरपालिका दखल नहीं दे सकती।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, सैक्टर-29 तो पानीपत शहर के एक साईड में है और बहन जी ने जो कालोनियां रैगुलराईज की हैं वे शहर के दूसरी साईड पर हैं। वह सैक्टर तो पानीपत से दिल्ली की तरफ जी०टी० रोड पर चुंगी से बाहर है। उसके सभी चार्जिज जमा किये हुए हैं और यह सैक्टर इण्डस्ट्रीयल सैक्टर है।

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हुड्डा का तो अपना एक सिस्टम है। जब तक हम हुड्डा की कालोनियों को टेक ओवर नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते और न ही चुंगी लगा सकते हैं।

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले बहन जी ने कहा कि कोई रैजोल्यूशन नहीं है और अभी एक मिनट में यह कह दिया कि रैजोल्यूशन है। लेकिन मैं बहन जी को

आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बहन जी इस केस की इन्क्वायरी करवायें। यह रैजोल्यूशन डी०सी० ने बहन जी के पास भेजा हुआ है, इस बारे में बहन जी को पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए बहन जी आप इस तरह की बातें न करें।

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे को ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने पहले भी बताया कि 29-11-1996 को 10 कालोनियों को रैगूलराईज करने के लिए नोटिफिकेशन आया था और उस प्रस्ताव को मान कर हमने इन कालोनियों को रैगूलराईज किया है। अध्यक्ष महोदय, इन 10 कालोनियों के अतिरिक्त और दूसरी कालोनियों का कोई भी प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है।

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, जिन 10 कालोनियों के बारे में बहन जी बता रही हैं वे तो पहले से ही म्यूनिसीपल कमेटी के एरिया में हैं, उनका तो इस सवाल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। यह रैजोल्यूशन इस बात का है कि वहां पर म्यूनिसीपल कमेटीज की सीमा बढ़ाई जाये। अगर मंत्री महोदया चाहती हैं तो इसे दोबारा से अपने रिकार्ड से चैक कर लें।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, जैन साहब चाहते हैं कि वहां पर पहले म्यूनिसीपल कमेटी कालोनियों को टेक-अप कर ले, फिर डिवैल्पमैंट का काम हो और फिर डिवैल्पमैंटल चार्जिज लिए जाएं। जबकि वास्तविकता यह है और हमारा यह तजुर्बा है कि अगर एक बार हम उन कालोनियों को म्यूनिसीपल लिमिट में ले लेते हैं तो फिर डिवैल्पमैंट चार्जिज कोई नहीं देता। वैसे भी पानीपत जैन साहब की खुद की कंस्टीच्यूएंसी है इसलिये वे भी वहां पर थोड़ी-बहुत मेहनत करें। यह काम जिला प्रशासन में डिप्टी कमीशनर के जिम्मे लगा दें और इसके लिये एक रिवोलविंग फण्ड बना लें। उस फण्ड में खुद पैसा जमा करायें और उसको खुद ही खर्च करें। इस फण्ड से सीवरेज़, बिजली, सड़कों आदि के सारे डिवैल्पमैंट के कार्य करवाएं तो हम वह एरिया नगरपालिका के अन्दर ले लेंगे। वरना होता क्या है कि एक बार जब हम किसी कालोनी को म्यूनिसिपल्टी में लेते हैं तो बाद में कोई भी डिवैल्पमैंटल चार्जिज़ नहीं देता। फिर जब चुनाव आयेंगे तो लोग कहेंगे कि आप तो पैसा मांगते हो, हम किस बात के लिये वोट दें। इसलिये पोलिटीशियन की इसमें मजबूरी होती है। इसलिये जैन साहब हम भी आपकी सहायता करेंगे और जिला प्रशासन से भी इसके लिए कहेंगे लेकिन आप भी उनसे इस बारे में कहो। हर लोकल सैक्टर में पंचायत बना लो व पैसे इकट्ठे करके आप लोग ही खर्च करो। जब वह एरिया डिवैल्प हो जायेगा तो हम उसको म्यूनिसिपल्टी में ले लेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 979

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री चन्ता राम सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या 818

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री देव राज दीवान सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Shortage of Drinking Water

***871. Shri Anil Vij :** Will the Minister for Public Health be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of drinking water in some areas of Mahesh Nagar, Gobind Nagar and Sadar Bazar areas of Ambala Cantt.; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to meet out the said shortage of drinking water ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री जगन नाथ) :

(क) अम्वाला छावनी के सदर बाजार में पेय जल की कोई कमी नहीं है। परन्तु अम्वाला छावनी के महेश नगर और गोविन्द नगर क्षेत्रों में जल वितरण का स्तर कुछ समय पहले एक नलकूप के असफल होने के कारण कुछ हद तक कम हो गया है।

(ख) असफल हुए नलकूप के स्थान पर एक नया नलकूप लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह संतोषजनक नहीं है क्योंकि सदर बाजार क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है और विशेष तौर से जो पुलिस स्टेशन और उसके आस-पास का जितना भी इलाका है, वहां आज के दिन भी पानी की बहुत कमी है जबकि आज कल तो पानी की कोई खास खपत भी नहीं होती है। इसके अलावा आउटर एरियाज़ में जैसे कि महेश नगर और गोविन्द नगर में भी पानी की बहुत कमी है और मंत्री महोदय ने माना भी है कि इन एरियाज़ में पानी की कमी है और उन्होंने कहा है कि कुछ हद तक कमी है जबकि इन एरियाज़ में तो काफी हद तक कमी है। केवल एक ट्यूबवैल लगाने से वहां पर पानी की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। आज अम्वाला में दिन-प्रतिदिन वाटर लैवल काफी नीचे जा रहा है और जितने भी पुराने ट्यूबवैल्ज हैं चाहे वे 250 फुट गहरे हों या 500 फुट गहराई वाले हों, धीरे-धीरे बन्द होते जा रहे हैं और अब ज्यादा गहरे नलकूप लगाये जा रहे हैं। पानी की वहां पर बहुत दिक्कत है और आने वाले समय में और भी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस पानी की दिक्कत से जूझने के लिये वहां पर कितने नलकूप लगाने की योजना है ताकि वहां पर पानी की कठिनाई को दूर किया जा सके।

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, अम्वाला कैंट के सदर बाजार एरिया में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 104 लिटर पानी मिल रहा है फिर भी वहां पानी की कमी है। इसी प्रकार से महेश नगर और गोविन्द नगर क्षेत्रों में भी पानी की कमी है लेकिन अम्वाला कैन्ट का यह जो एरिया है इसमें पानी बहुत नीचे है और वाटर लैवल नीचा होने के कारण 1100 फुट गहरे नलकूप लगाने पड़ते हैं फिर भी वहां पर जितना पानी मिलना चाहिये, वह नहीं मिल पाता है और खर्च भी ज्यादा आता है। इन एरियाज में पानी भी 7-8 साल में खत्म हो जाता है जबकि ट्यूबवैल की लाइफ कम से कम 15 साल होनी चाहिये। इसके विपरीत दूसरे एरियाज़ में 350 फुट नीचे पानी मिल जाता है। हमारे महकमें ने यह कोशिश भी की थी कि सदर बाजार और महेश नगर के इर्द-गिर्द कहीं पानी का लैवल ठीक मिल जाये लेकिन ऐसी कोई जगह मिल नहीं रही है। बाकी ट्यूबवैल से भी हमारा काम चलता नहीं है इसलिए हमने मिलिट्री अथोरिटीज से इस बारे में बात की है कि आप हमें मिलिट्री एरिया में 70 एकड़ जमीन दे दें ताकि हम यहां पर कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम बना कर यहां एक बड़ा पानी का टैंक बना सकें और उससे इस सारे एरिया को

पीने का पानी सप्लाई करेंगे लेकिन 1992 से लेकर आज तक मिलिट्री वालों ने वह जमीन हमारे महकमे को नहीं दी है। मिलिट्री वालों से कभी हमारे डी०सी०, अम्बाला, कभी कमिशनर अम्बाला और कभी हमारे महकमे के औफिसर्ज, उस जमीन के बारे में बातचीत करते रहे हैं लेकिन अभी तक वह जमीन हमें नहीं मिल पाई है। जब तक हमें उनसे जमीन नहीं मिल जाती तब तक हम कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम नहीं बना सकते। अब हमने सोचा है कि मिलिट्री वाले हमें जमीन तो देंगे नहीं इसलिए हम और किसी दूसरी जगह पर ट्यूबवैल लगाएंगे। इस बारे में हमने माननीय सदस्य से भी बात की है कि आप हमें ट्यूबवैल लगाने के लिए कोई जगह बताएं ताकि हम वह जमीन मार्किट रेट पर ले कर उस पर ट्यूबवैल लगा सकें और उस ईलाके के लिए पीने के पानी का पूरा प्रबंध कर सकें। कैथल और रिवाड़ी के विधायकों और वहां के सिटिजंज़ ने जो जगह हमें बताई थी वहां पर हमने ट्यूबवैल लगाने का काम शुरू कर दिया है। इसलिए हम माननीय सदस्य विज साहब आप से भी प्रार्थना करते हैं कि आप वहां पर हमें कोई जगह बताएं। मैं खुद आपके साथ मौके पर जाऊंगा, हमारे महकमे के औफिसर्ज भी साथ जाएंगे। आप केवल यह बता दें कि इस जगह पर ट्यूबवैल लगा दिए जाएं। आप जितने भी ट्यूबवैल लगाने के लिए कहेंगे हम उतने ट्यूबवैल लगाने का काम शुरू करवा देंगे।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम की बात कही है, उस बारे में मैं भी यह बात जानता हूं कि पिछले 10-15 साल से आर्मी वालों से आर्मी एरिया के अन्दर जमीन लेने की कोशिश की जा रही है लेकिन आर्मी वालों से लड़ना कोई आसान काम नहीं है उन्होंने वह जमीन आज तक नहीं दी है। इसलिए मंत्री जी वहां पर खुद जा कर किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर जमीन एक्वायर करके इस कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम को लागू कराएं। आप मेरी इस बात से भी सहमत होंगे कि वह लैंड एक्वायर करने के बाद से लेकर पूरी योजना लागू होने तक काफी समय लग सकता है।

Mr. Speaker : Please ask the supplementary.

Shri Anil Vij : Sir, I am asking the supplementary. टाईम भी बहुत है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से फिर दोबारा वही प्रश्न करना चाहूंगा। जब तक कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम नहीं बन जाती, तब तक ट्यूबवैल लगा कर वहां पर पीने का पानी दिया जाए लेकिन ट्यूबवैल फेल होने के बाद फिर हम सैंक्शन लें फिर ट्यूबवैल लगाएं उतनी देर तक लोगों को बहुत दिक्कत होती है। हमें पता है कि वहां का वाटर लैवल डाउन जा रहा है इसलिए ट्यूबवैल फेल हो रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सारे नगर की जनता के लिए पीने के पानी की पूरी सप्लाई करने के लिए गहरे ट्यूबवैल लगाने की किसी योजना पर विचार कर रहे हैं अगर कर रहे हैं तो कितने और ऐसे ट्यूबवैल लगाए जाएंगे। जब तक वहां पर कैनाल बेस्ड वाटर स्कीम नहीं बन जाती तब तक के लिए वहां पर गहरे ट्यूबवैल लगा कर ही वहां की जनता को पीने के पानी की दिक्कत से बचाया जा सकता है।

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य से प्रार्थना की है कि ये हमें कोई जगह बता दें हम वहां पर ट्यूबवैल लगा कर पीने का पानी सप्लाई कर देंगे। माननीय सदस्य ने विशेष कर महेश नगर और गोबिन्द नगर के बारे में पूछा है। गोबिन्द नगर में एक ट्यूबवैल से 8 हजार गैलन पानी मिल रहा था अब उससे 4 हजार गैलन पानी मिल रहा है। अम्बाला जगाधरी रोड पर एक बहुत बड़ा ट्यूबवैल है उससे 11 हजार गैलन पानी मिलता है उस ट्यूबवैल का कुछ पानी भी हम महेश नगर को सप्लाई कर रहे हैं। गोबिन्द नगर को हम प्रीत नगर से पानी की सप्लाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक ट्यूबवैल अम्बाला जगाधरी रोड पर बाहर लगा हुआ है उससे भी पानी दे रहे हैं लेकिन जब तक वहां के लिए किसी

[श्री जगन नाथ]
और जगह पर ट्यूबवैल नहीं लगाया जाता तब तक जितना पानी उन एरियाज के लिए चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। ट्यूबवैल लगाने के लिए कोई जगह अवश्य देखनी पड़ेगी। विधायक जी कोई जगह हमें बता दें हमारा महकमा उस जगह को मार्किट रेट पर एक्वायर कर लेगा और वहां पर ट्यूबवैल लगाने का काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा।

तारांकित प्रश्न सं० 924

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे)

तारांकित प्रश्न सं० 954

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे)

तारांकित प्रश्न सं० 942

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री रामफल कुण्डु सदन में उपस्थित नहीं थे)

Construction of a Stadium at Charkhi-Dadri

***969. Shri Sat Pal Sangwan :** Will the Minister of State for Sports be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Stadium at Charkhi-Dadri; if so, the time by which the aforesaid Stadium is likely to be completed ?

खेल राज्य मन्त्री (श्री रामसरूप रामा) : श्रीमान जी, जी नहीं।

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर साहब, दादरी एक बहुत ही पुरानी तहसील है और इसमें कम से कम 10-12 ऐसे प्लेयर हुए हैं जिन्होंने एशियन गेम्ज में भी गोल्ड मैडल जीते हैं। उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि जो एशियन गेम्ज अभी हुए हैं उनमें भी दादरी तहसील के झोजू खुर्द गांव का एक लड़का जो कब्बडी का प्लेयर था उसने बहुत अच्छी परफोरमैन्स दी है। इसके इलावा एक लड़की जो 40 साल से ऊपर की उम्र की है उसने भी बहुत अच्छी पर्फोमैन्स दी है। वह है तो हमारे यहां की लेकिन उसका ब्याह तोशाम कान्स्टीच्यूएंशी में कर रखा है। इसके अलावा लीला राम, सज्जन सिंह, हवा सिंह, रामकुमार सांगवान, राजबीर, राजबाला व रामफल राणा आदि ऐसे खिलाड़ी भी दादरी के एरिया के हैं जिन्होंने गोल्ड मैडल लिए हुए हैं। खेलों में दादरी के लोगों का बड़ा शौक है। अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है कि वहां पर कोई भी स्टेडियम या मिनी स्टेडियम नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार वहां पर कोई मिनी स्टेडियम ही बना दे क्योंकि इसकी वहां पर बहुत ज्यादा डिमाण्ड है। जब वहां पर कुश्तियां हो रही थीं तो वहां के लोगों ने मुझे भी वहां पर बुलाया था। मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर कुश्ती का

भी कोई स्टेडियम नहीं है। मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि वे इस बात पर जरूर ध्यान दें और कोई स्टेडियम अवश्य बनवा दें।

श्री रामसरूप रामा : स्पीकर साहब, आदरणीय सांगवान जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि जहां पर इतने अच्छे खिलाड़ी हों, वहां पर कोई मिनी स्टेडियम अवश्य होना चाहिए, इसे मैं भी मानता हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जब भी सरकार की कहीं पर भी स्टेडियम बनाने की कोई योजना होती है तो स्टेडियम बनाने के लिए नगरपालिका या पंचायत की तरफ से किसी न किसी तरीके से जमीन खेल विभाग को फ्री में दी जाती है। कृपा करके सांगवान साहब जमीन का इन्तजाम करवा दें। हम भी इनकी बात से सहमत हैं। जमीन मिलने के बाद वहां पर स्टेडियम बनाने के लिए पूरे तौर से विचार किया जायेगा।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन नाथ) **:** मिनी स्टेडियम के बनाये जाने के बारे में जैसे अभी सांगवान जी ने सवाल किया है उस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि किसी रूरल एरिया में या किसी म्यूनिसिपल कमेटी के अन्दर स्टेडियम बनाने के लिए वहां की पंचायत को या कमेटी को 6 एकड़ जमीन देनी होती है और इसके साथ ही 42 हजार रुपये भी देने होते हैं। फिर इतनी ही राशि स्टेट गवर्नमैंट अपनी तरफ से डालती है। इन दोनों राशियों को मिला कर जितना पैसा होता है उतना ही पैसा फिर केन्द्र सरकार देती है। इस तरह से जो यह डेढ़ लाख रुपये के आसपास जो पैसा बनता है उससे स्टेडियम नहीं बन सकता। यह बात भी ठीक है कि दादरी एरिया में सबसे ज्यादा एथलिटिक व रेसलिंग आदि के प्लेयर हुए हैं। वहां पर स्टेडियम जरूर बनना चाहिए। लेकिन सरकार के पास पैसे नहीं हैं इसलिए पैसे के अभाव के कारण वहां पर स्टेडियम फिलहाल बनाना संभव नहीं है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) **:** अध्यक्ष महोदय, लीला पहलवान, मन्दोले का सज्जन, समदपुर का रामबीर, एक झोझू का और कई अन्य खिलाड़ी ऐसे हैं जो गोल्ड मैडल लेकर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में भी हमारे माननीय साथी सतपाल सिंह सांगवान जी भी गोल्ड मैडल से कम नहीं हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से खेल मंत्री से निवेदन है कि सांगवान जी का जो स्टेडियम बनाने का सवाल है उस पर अवश्य विचार करें।

श्री अध्यक्ष : खेल मंत्री जी कोई गांव आपको 6 एकड़ जमीन और निर्धारित राशि भी दे दे तो क्या आप वहां पर कोई मिनी स्टेडियम बनवा देंगे।

श्री रामसरूप रामा : ऐसा है कि इसके लिए हमारे पास 36 पंचायतों और नगरपालिकाओं के पैसे जमा हुए हैं। यह स्कीम भारत सरकार की थी कि मिनी स्टेडियम के लिए 42 हजार रुपये पंचायत भर दे और 42 हजार रुपये हरियाणा सरकार देगी और उतना ही पैसा फिर भारत सरकार देती थी। लेकिन अब भारत सरकार ने इस स्कीम को बंद कर दिया है। अब वे कोई नयी स्कीम बना करके भेजेंगे, लेकिन अभी वह स्कीम आई नहीं है। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार की तरफ से कोई नयी स्कीम जल्दी ही आ जायेगी। हमारे पास करीब 35-40 केसिज़ ऐसे पड़े हुए हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि ये इन सोसाईटीज़ की अपने गांव के पैसे से मदद कर दी जाएगी, जमीन फ्री दे दी जाएगी तो उसके बाद हरियाणा सरकार से भी पैसा मिल सकता है और उसके बारे में हम विचार कर सकते हैं।

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर सर, शर्मा जी ने बहुत बढ़िया फरमाया है जिससे मुझे खुशी भी हुई लेकिन मेरे हर सवाल का जवाब ''नहीं'' में मिलता है इसलिए मेरा गोल्ड मैडल तो ऐसा लगता है कि घर में ही रखा रह जाएगा।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, आपकी इनायत सांगवान साहब पर है और दादरी से मेरा लगाव भी है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा डायलैक्ट में एक कहावत भी है कि कटड़े का मन तो भैंस को देख कर चाले। सांगवान साहब के कॉलेज की बात भी कल आई थी और अभी आपने भी मान्यवर रामा जी से पूछा है कि अगर बोन्द में कालेज के आस-पास छः एकड़ जमीन मिल जाए और उसका प्रस्ताव पंचायत की तरफ से आ जाए तो क्या सरकार उस पर विचार करेगी।

Providing of Mortuary/Lift/Private Ward in Civil Hospital, Panipat

***974. Shri Om Parkash Jain :** Will the Minister for Health be pleased to stat whether there is any proposal under consideration of the Government to provide the facilities of private ward, lift and mortuary in the Civil Hospital, Panipat ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) : प्राईवेट वार्ड का निर्माण सरकार के विचाराधीन है। इस अस्पताल में लिफ्ट का कोई प्रावधान नहीं है। सामान्य अस्पताल, पानीपत में शवगृह की सुविधा पहले ही उपलब्ध है परन्तु यह अपर्याप्त है। अतिरिक्त शवगृह भवन के बारे प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने प्राईवेट वार्ड के लिए कहा है कि यह विचाराधीन है। पिछली बार भी मन्त्री जी ने यही कहा था कि "विचाराधीन है" इसलिए मैं आपके माध्यम से इनसे यह जानना चाहूंगा कि इस पर कब तक विचार करते रहेंगे और इसको कब तक बनवाने का इरादा है ? अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न लिफ्ट से जुड़ा हुआ है। आप्रेशन थियेटर तीसरी मंजिल पर है और वहां पर मरीजों को लाने, ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है इसलिए मैं यह प्रार्थना करूंगा कि सरकार वहां पर लिफ्ट बनवा दे। उससे बड़ा लाभ होगा। अध्यक्ष महोदय, यह अस्पताल जी०टी०रोड पर पड़ने वाला मेन अस्पताल है और जी०टी० रोड पर एक्सीडैंट्स भी बहुत होते हैं। इस अस्पताल में जो शवगृह है वह बहुत ही छोटा है इसलिए मेरा निवेदन है कि शवगृह भी बड़ा बनवा दें। इनकी मेहरबानी होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस पर कब तक विचार करेंगे और इसको कब तक बनवा देंगे ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने ऑनरेबल साथी को लिफ्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि ऊपर की मंजिल पर जो कमरा बना हुआ है वहां के लिए सीढ़ियां और रैम्प बना हुआ है इसलिए वहां पर लिफ्ट लगाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। जहां तक प्राईवेट वार्ड का ताल्लुक है, 10 कमरों के लिए चीफ आर्किटैक्चर, चण्डीगढ़ को हमने लिख कर भेजा हुआ है और वे उसकी ड्राईंग्ज बना रहे हैं। ड्राईंग बनने के बाद एस्टीमेट्स बन जाएंगे और मेरे ख्याल से 10 कमरे अवश्य बना दिए जाएंगे। इसके अलावा जहां तक शव गृह की बात है वहां पर पहले ही एक कमरा बना हुआ है। तथा सरकार भी चाहती है कि उस कमरे को और बड़ा किया जाए। इस कमरे की ड्राईंग का मामला भी आरकिटैक्ट के पास गया हुआ है और इसको भी हम जल्दी करवा देंगे।

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी को बताया है कि आप्रेशन थियेटर तीसरी मंजिल पर है। क्या आप्रेशन थियेटर को नीचली मंजिल पर लाने के बारे में सरकार विचार करेगी। दूसरे वहां पर लाईट की बड़ी भारी दिक्कत है। वहां पर जो जनरेटर है वह ठीक नहीं है और उसको ठीक

नहीं करवाया जा रहा है। क्या मंत्री जी वहां पर उस जनरेटर को ठीक करवाएंगे या उसकी जगह पर दूसरा नया जनरेटर लगवाएंगे। वहां पर क्या हॉट लाईन को भी चालू करवाएंगे।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, आप्रेशन थियेटर को नीचे लाने वाली जो बात है तो इस बारे में मैं अपने टैक्नीकल आदमियों से बात करूंगा और उसके बाद ही इस बारे में फैसला किया जाएगा। जहां तक बिजली की बात है वह चाहे हॉटलाईन से मिले या हमें जनरेटर ठीक करवाना पड़े वहां पर बिजली मिलेगी।

Mr. Speaker : The list of questions is exhausted and hence the questions hours is over.

समितियों की रिपोर्टस पेश करना—

(i) पब्लिक अकाऊंटस कमेटी की 47वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble members, now Shri Satpal Sangwan, Chairperson, Committee on Public Accounts will present the Fourty Seventh Report of the Committee on Public Accounts for the year 1998-99, on the Appropriation Accounts/Finance Accounts of the Haryana Government for the year 1994-95.

Shri Satpal Sangwan (Chairperson, Committee on Public Accounts) : Sir, I beg to present the Fourty Seventh Report of the Committe on Public Accounts for the year 1998-99, on the Appropriation Accounts/Finance Accounts of the Haryana Government for the year 1994-95.

(ii) एस्टीमेट्स कमेटी की 31वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Narpender Singh, Chairperson of the Committee on Estimates will present the Thirty First Report of the Committee on Estimates for the year 1998-99.

Shri Narpender Singh (Chairperson, Committee on Estimates) : Sir, I beg to present the Thirty First Report of the Committee on Estimates for the year 1998-99.

(iii) पब्लिक अंडरटेकिंगज़ कमेटी की 44वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Bijender Singh Kadyan, Chairperson, Committee on Public Undertakings will present the Fourty Fourth Report of the Committee on Public Undertakings for the year 1998-99 on the Report of the Comprtoller and Auditor General of India for the year 1995-96 (Commercial).

Shri Bijender Singh Kadyan (Chairperson, Committee on Public Undertakings) : Sir, I beg to present the Fourty Fourth Report of the Committee on Public Undertakings for the year 1998-99 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1995-96 (Commercial).

वर्ष 1998-99 के अनुपूरक अनुमानों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion and voting on the Supplementary Estimates for the year 1998-99 will take place.

As per the past practice and its order to save the time of the House, the demands on the order paper will be deemed to have been read and moved. The Hon'ble Members can raise discussion on any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,52,07,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1999 in respect of Demand No. 1—Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,000 for revenue expenditure and Rs. 79,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1999 in respect of Demand No. 2—General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7,44,40,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1999 in respect of Demand No. 3—Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,71,68,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1999 in respect of Demand No. 5—Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1999 in respect of Demand No.7—Other Administrative Services.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,57,61,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1999 in respect of Demand No. 11—Urban Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10,16,74,000 for Capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1999 in respect of Demand No. 14—Food and Supplies.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,93,95,00,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1999 in respect of Demand No. 15—Irrigation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 13,22,93,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges

that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1999 in respect of Demand No.16—Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1999 in respect of Demand No. 20—Forest.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1999 in respect of Demand No. 25—Loans and Advances by State Government.

(No member rose to speak.)

Mr. Speaker : Now, the demands will be put to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,52,07,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1999 in respect of Demand No. 1— Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1000 for revenue expenditure and Rs. 79,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1999 in respect of Demand No. 2—General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7,44,40,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1999 in respect of Demand No. 3—Home.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,71,68,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1999 in respect of Demand No. 5—Excise and taxation.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1999 in respect of Demand No. 7—Other Administratitive Services.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,57,61,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1999 in respect of Demand No. 11—Urban Development.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10,16,74,000 for Capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1999 in respect of Demand No. 14—Food and Supplies.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,93,95,00,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1999 in respect of Demand No. 15—Irrigaion.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 13,22,93,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1999 in respect of Demand No. 16—Industries.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1999 in respect of Demand No. 20—Forest.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1999 in respect of Demand No. 25—Loans and Advances by State Government.

The motion was carried.

वर्ष 1999-2000 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion and voting on demands for grants on Budget for the year 1999-2000 will take place.

As per the past practice and in order to save the time of the House, all the demands on the order paper will be deemed to have been read and moved. The Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

That a sum not exceeding Rs. 6,28,11,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 1—Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 1,10,12,93,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 2—General Administration.

That a sum not exceeding Rs. 4,26,02,70,000 for revenue expenditure and Rs. 10,00,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 3—Home.

That a sum not exceeding Rs. 68,00,27,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 4—Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 35,48,93,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 5—Excise and Taxation.

That a sum not exceeding Rs. 3,95,76,40,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 6—Finance.

That a sum not exceeding Rs. 9,23,58,55,000 for revenue expenditure and Rs. 9,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 7—Other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs. 3,22,41,49,000 for revenue expenditure and Rs. 2,66,16,10,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 8—Buildings and Roads.

[Mr. Speaker]

That a sum not exceeding Rs. 11,68,45,13,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 9—Education.

That a sum not exceeding Rs.5,31,91,26,000 for revenue expenditure and Rs. 1,29,70,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 10—Medical & Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 46,84,02,000 for revenue expenditure be granted to the Government to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 11—Urban Development.

That a sum not exceeding Rs. 51,06,35,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 12—Labour and Employment.

That a sum not exceeding Rs. 2,52,77,81,000 for revenue expenditure and Rs. 2,20,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 13—Social Welfare & Rehabilitation.

That a sum not exceeding Rs.18,14,96,000 for revenue expenditure and Rs. 5,24,01,91,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 14—Food & Supplies.

That a sum not exceeding Rs. 8,50,94,00,000 for revenue expenditure and Rs. 7,72,85,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 15—Irrigation.

That a sum not exceeding Rs. 67,17,92,000 for revenue expenditure and Rs. 16,78,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 16—Industries.

That a sum not exceeding Rs. 2,29,25,03,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 17—Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 88,02,73,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 18—Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 6,97,10,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 19—Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 70,20,77,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 20—Forest.

That a sum not exceeding Rs. 96,13,85,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 21—Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 20,63,01,000 for revenue expenditure and Rs. 10,76,34,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 22—Cooperation.

That a sum not exceeding Rs. 4,17,93,58,000 for revenue expenditure and Rs. 40,55,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 23—Transport.

That a sum not exceeding Rs. 1,54,25,000 for revenue expenditure and Rs. 4,00,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 24—Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 2,56,44,92,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 25—Loans & Advances by State Govt.

(No member rose to speak.)

Mr. speaker : Now, the demands will be put to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 6,28,11,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 1—Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 1,10,12,93,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 2—General Administration.

That a sum not exceeding Rs. 4,26,02,70,000 for revenue expenditure and Rs. 10,00,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 3—Home.

That a sum not exceeding Rs. 68,00,27,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 4—Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 35,48,93,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 5—Excise and Taxation.

That a sum not exceeding Rs. 3,95,76,40,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 6—Finance.

That a sum not exceeding Rs. 9,23,58,55,000 for revenue expenditure and Rs. 9,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 7—Other Administrative Services

That a sum not exceeding Rs. 3,22,41,49,000 for revenue expenditure and Rs. 2,66,16,10,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 8—Buildings and Roads.

That a sum not exceeding Rs. 11,68,45,13,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 9—Education.

That a sum not exceeding Rs. 5,31,91,26,000 for revenue expenditure and Rs. 1,29,70,00,000 for capital expenditure be

granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 10—Medical & Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 46,84,02,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 11—Urban Development.

That a sum not exceeding Rs. 51,06,35,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 12—Labour and Employment.

That a sum not exceeding Rs. 2,52,77,81,000 for revenue expenditure and Rs. 2,20,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 13—Social Welfare & Rehabilitation .

That a sum not exceeding Rs. 18,14,96,000 for revenue expenditure and Rs. 5,24,01,91,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 14—Food & Supplies.

That a sum not exceeding Rs. 8,50,94,00,000 for revenue expenditure and Rs. 7,72,85,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 15—Irrigation.

That a sum not exceeding Rs. 67,17,92,000 for revenue expenditure and Rs. 16,78,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 16—Industries.

That a sum not exceeding Rs. 2,29,25,03,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 17—Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 88,02,73,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 18—Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 6,97,10,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 19—Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 70,20,77,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 20—Forest.

That a sum not exceeding Rs. 96,13,85,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 21—Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 20,63,01,000 for revenue expenditure and Rs. 10,76,34,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 22—Cooperation.

That a sum not exceeding Rs. 4,17,93,58,000 for revenue expenditure and Rs. 40,55,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 23—Transport.

That a sum not exceeding Rs. 1,54,25,000 for revenue expenditure and Rs. 4,00,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 24—Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 2,56,44,92,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1999-2000 in respect of charges under Demand No. 25—Loans & Advances by State Govt.

The motion was carried.

बिल्ज—

(i) दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 1999

Mr. Speaker : Now, the Development Minister will introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 1999 and he will also move the motion for its consideration.

Development Minister (Shri Kanwal Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 1999.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 7

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 8

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 9

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 10

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 10 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 11

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 11 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 12

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 12 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 13

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 13 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 14

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 14 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 15

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 15 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 16

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 16 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 17

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 17 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 18

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 18 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 19

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 19 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 20

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 20 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 21

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 21 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Development Minister will move that the Bill be passed.

Development Minister (Shri Kanwal Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि पंजाब शिड्यूल रोडज़ एंड कंट्रोल्ड एरियाज़ रिस्ट्रीक्शन आफ अनरैगुलेटिड डिवैल्पमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1999

Mr. Speaker : Now the Minister of State for Parliametary Affairs will introduce the Punjab Schedule Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 1999.

Minister of State for Public Relations (Shri Attar Singh Saini) : Sir, I beg to introduce the Punjab Schedule Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill 1999.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Schedule Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Schedule Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : स्पीकर सर, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र, अनियमित बिकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 में संशोधन के लिए हम यह संशोधन विधेयक लाये हैं। स्पीकर सर, नगरों में आपने देखा है कि कई स्थानों पर हैफाजार्ड ग्रोथ हो गई है। कोई भी आदमी किसी भी सड़क के साथ-साथ नाजायज कब्जा कर लेता है, पुलों के आस-पास कब्जा कर लेता है। उसको हटाने के लिए पहले 15 दिन का समय दिया जाता था और उस 15 दिन के समय में वह आदमी उस जगह पर पूरी कंस्ट्रक्शन कर लेता था इस तरह के कब्जों को रोकने में तेजी लाने के लिए यह बिल लाया गया है। इस तरह का प्रावधान इस बिल में किया गया है।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Schedule Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : I have received an amendment to this clause from Shri Kapoor Chand Sharma. He may please move the amendment.

श्री कपूर चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में निम्नलिखित संशोधन मूव करना चाहता हूं—

पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र, अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1999 में प्रस्तावित धारा-12-ग की उप-धारा (1) के लिए प्रस्तावित खण्ड-3 में निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) ऐसी तिथि से जैसा कि सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, जिस में वित्तायुक्त (कार्यरत या सेवानिवृत्त) की पदवी से कम न हो तथा सड़कों तथा राजमार्गों के बारे में विशेष ज्ञान रखने वाले मुख्य अभियन्ता के पद का सदस्य हो, की अध्यक्षता में एक अधिकरण गठित करेगी। यदि अधिकरण के सदस्य किसी मामले में विभाजित हों, तो अधिकरण के अध्यक्ष का फैसला मान्य होगा।"

Mr. Speaker : Motion moved—

That in the proposed clause 3 for Sub-Section (1) of the proposed Section 12-C the following Sub-Section shall be substituted namely :—

"(1) With effect from such date as the Government may, by notification, constitute a Tribunal consisting of a Chairman in the rank of not less than Financial Commissioner (serving or retired) and a member of the rank of Chief Engineer having special knowledge about roads and highways. If the Members of the Tribunal are divided over some matter, the decision of the Chairman of the Tribunal shall prevail".

श्री सोमबीर सिंह (लोहारू) : अध्यक्ष महोदय, श्री कपूर चन्द शर्मा जी ने जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इनकी यह बात बिल्कुल ठीक है कि ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के पद के लिए वित्तायुक्त (कार्यरत या सेवानिवृत्त) होना चाहिए तथा इसका सदस्य

[श्री सोम बीर सिंह]

मुख्य अभियंता की पदवी का होना चाहिए, जो सड़कों तथा राजमार्गों के बारे में विशेष ज्ञान रखने वाला हो, क्योंकि उनका एक लम्बे समय का तजुर्बा होता है तथा वे हाईली-क्वालीफाईड भी होते हैं। उनको रूल्स व अपीलों के बारे में भी अच्छी नॉलेज होती है। इसलिए हाई कोर्ट के सेवा निवृत न्यायाधीश के स्थान पर वित्तायुक्त को ही लगाना उचित होगा।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान (नीलथा) : अध्यक्ष महोदय, श्री कपूर चन्द शर्मा जी ने जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उनकी यह बात बिल्कुल सही है कि इस ट्रिब्यूनल का चेयरमैन कम से कम वित्तायुक्त की पदवी का होना चाहिए व इसका सदस्य चीफ इंजीनियर की पदवी का होना चाहिए। इससे जनता को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इन लोगों को इस क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान होगा।

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा (नारनौल) : अध्यक्ष महोदय, श्री कपूर चन्द शर्मा जी ने जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं उनके इस संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जो कि बिल्कुल जायज है, इसलिए इसको पास कर दिया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अतर सिंह सैनी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण ने जो संशोधन का प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा है, यह बिल्कुल सही है और यह इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए।

Mr. Speaker : Question is—

That in the proposed clause 3 for Sub-Section (1) of the proposed Section 12-C the following Sub-Section shall be substituted namely :—

"(1) With effect from such date as the Government may, by notification, constitute a Tribunal consisting of a Chairman in the rank of not less than Financial Commissioner (serving or retired) and a member of the rank of Chief Engineer having special knowledge about roads and highways. If the Members of the Tribunal are divided over some matter, the decision of the Chairman of the Tribunal shall prevail".

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Public Relations will move that the Bill, as amended, be passed.

Minister of State for Public Relations (Shri Attar Singh Saini) : Sir, I beg to move—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, the business as entered in the list of business is exhausted and now the House is adjourned till 10.00 A.M. tomorrow, the 10th February, 1999.

15.17 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 10.00 A.M. tomorrow, the 10th February, 1999.)